भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 60*

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी गरीबों के लिए आवास

†*60. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शहरी गरीबों के लिए अनेक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इनके निर्माण और पात्र लाभार्थियों को इन्हें प्रदान करने से पूर्व ध्यान में रखे गए मानदण्डों और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने आवासों का निर्माण किया गया; और

(घ) क्या लाभार्थी अपने आवंटित आवासों को लाभ कमाने के लिए बेच सकते हैं या हस्तांतरित कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'शहरी गरीबों के लिए आवास' के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 60* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में शहरी क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना के चार घटक नामतः लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण सम्बद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

i. भारत में कहीं भी अपने या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना।
ii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है, सीएलएसएस घटक को छोड़कर जिसमें निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया था।
iii. बीएलसी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का स्वामित्व।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्रों द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में 118.64 लाख आवासों को संस्वीकृत किया गया है, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन हैं तथा 85.04 लाख आवास पूरे हो गए हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल 66.17 लाख, 72.04 लाख और 57.52 लाख आवास क्रमशः संस्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।

(घ): आवास के हस्तांतरण या बिक्री से संबंधित नीतियां स्थानीय संदर्भ के अनुसार लॉक-इन अवधि को परिभाषित करके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं।

******